न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या/191/2025

दायर दिनांक 06.06.2025

उनवान

1. मु0 राधा बाई पत्नी रतनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी लाखों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मु0 मोहनी बाई पत्नी शांतिलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी लाखों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

— वादी

बनाम

1. दिनेशचन्द पिता छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी बावरियाखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मदनलाल पिता छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी बावरियाखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मु0 प्रेमबाई पुत्री छोगा जाति जाट पत्नी रामेश्वरलाल जाट आयु वयस्क निवासी लाखों का खेड़ा हाल मुकाम सिंदेसर कला, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द जिला चित्तौड़गढ़।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. बड़ौदा-राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा-धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

— प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांकः 02.12.2025

-:निर्णयः-

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा बावरियाखेड़ा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन में कृषि भूमि खाता नं0 42 में आराजी नम्बर 352 रकबा 1.17 हैक्ट0, 364 रकबा 0.14 हैक्ट0, 366 रकबा 0.16 हैक्ट0, 367 रकबा 0.03 हैक्ट0, 370 रकबा 0.12 हैक्ट0, 371 रकबा 0.73 हैक्ट0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.35 हैक्ट0 स्थित है जिसका 1/4 हिस्सा छोगा पिता अमरा जाति जाट नि0 बावरियाखेड़ा के खातेदारी व कब्जेकाश्त का था।

यह कि उक्त आराजीयात जैरबहस का 1/4 हिस्सा छोगाजी जाट ने वादीगण को दिनांक 01/02/2008 को एक लाख रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय कर कब्जा वादीगण को सौंप दिया व तब से वादीगण उक्त 1/4 हिस्से की जमीन पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

यह कि उक्त आराजीयात क्रय करने के बाद वादीगण ने असल विक्रयपत्र पटवारी जी को ईन्तकाल खोलने के लिये दिया और उनका तबादला हो गया और असल विक्रयपत्र उनके पास ही रह गया तथा इस बीच छोगाजी की मृत्यु हो गई और विरासत से जैरबहस आराजीयात उनके वारीस प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 के नाम पर दर्ज हो गई।

यह कि वादीगण महिलाए होकर काश्तकार हैं उनको यह विश्वास हो गया कि उक्त आराजीयात क्रयशुदा का ईन्तकाल उनके नाम पर खुल गया होगा मगर हाल ही में प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 ने वादीगण को कहा कि जैरबहस जमीन तो उनके नाम पर दर्ज हैं और फसल खराबा का मुआवजा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

वह लेंगे तब राजस्व रेकार्ड की जानकारी करने पर वादीगण को उक्त जमीन प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज होने की जानकारी हुई, इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 के नाम पर जैरबहस जमीन गलत दर्ज हैं तथा उनका कोई हक व कब्जा नही हैं और वादीगण खातेदार होकर काबिज हैं अतः उक्त गलत ईन्द्राज को दुरूस्त किया जाना जरूरी है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 उक्त गलत ईन्द्राज की आड में जैरबहस आराजीयात को खुर्द बुर्द करने व जबरन कब्जा करने की धमकी देते हैं अतः उनको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं अन्यथा वादीगण को भारी असुविधा व क्षति होगी तथा बेकार में मुकदमेबाजी बढेगी और इसकी क्षतिपूर्ति किसी तरह से नहीं की जा सकेगी।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को इन्द्राज दुरूस्ती कराने व कब्जे में दखलन्दाजी नही करने हेतु कहा तो आनाकानी करते हैं अतः बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 10.06.2015 से हैं व निरन्तर पैदा हो रही है।

अन्त में प्रार्थना की कि–

–यह कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किए जाने की डिक्री प्रदान की जावें कि वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित ग्राम बाबरियाखेडा तहसील कपासन की जैरबहस आराजीयात के 1/4 हिस्से में वादीगण संयुक्त रूप से खातेदार होकर काबिज है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के नाम पर दर्ज हैं अतः उनका नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम अंकित किया जावें।

–यह कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावे कि जैरबहस आराजीयात का 1/4 हिस्सा जो वादीगण के कब्जे काश्त में हैं उसको प्रतिवादीगण रहन विक्रय या अंतरित नही करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह से भी हस्तक्षेप नही करे तथा जबरन कब्जा नही करे तथा इस हेतु अपने परिवारजन, नौकर, एजेन्ट आदि को भी प्रेरित नही करे, साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नही करें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 11.11.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी सं0 5 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 20.03.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। साक्ष्यवादी में वादीया राधाबाई का शपथ पत्र प्रस्तुत। पत्रावली पर जमाबन्दी 2070 से 2073 खाता संख्या 42 प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवंत् 2066–2069 खाता संख्या 32 प्रदर्श–2, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटोप्रति प्रदर्श–3 है।

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा बाबरियाखेडा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन में कृषि भूमि के आराजी नम्बर 352 रकबा 1.17 हैक्ट0, 364 रकबा 0.14 हैक्ट0, 366 रकबा 0.16 हैक्ट0, 367 रकबा 0.03 हैक्ट0, 370 रकबा 0.12 हैक्ट0, 371 रकबा 0.73 हैक्ट0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.35 हैक्ट0 में दर्ज दिनेशचन्द्र, प्रेमबाई, मदनलाल पिता छोगा जाति जाट के नाम दर्ज हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन